

**CITY FACT AND FACILITIES BY GOVERNMENT****Mohammad Asif** मो. नं. +91-9413609001

Anand Nagar, Sumerpur Dist-Pali (Raj.) PIN-306902

**PUBLIC WEB SERVICE****CONTECT DIRECTORY****NEWS & FACT****BENEFIT OF GOVT.****मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना**

प्यारे छात्रों अब आप सोच रहे होंगे मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति/मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना 2020-20 किन बच्चों को दी जाएगी तथा किस प्रकार आवेदन करेंगे ?कागजात क्या चाहिए होंगे ?बच्चों आवेदन करना बहुत ही आसान है।कृपया इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ें। और देखें किस प्रकार हम आवेदन करेंगे ?

**मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना पात्रता**

हम आपको यहां पर मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा योजना की पात्रता बता रहे हैं |यदि आप इस को पूरा करते हैं तभी आप इतने आवेदन कर सकते हैं।

- इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ केवल राजस्थान के स्थायी निवासी ही ले सकते हैं।
- उम्मीदवार के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले इस साल न्यूनतम 60 प्रतिशत से हैं। और जिन्होंने बोर्ड की प्राथमिकता सूची में पहले एक लाख में जगह हासिल की है।
- जो छात्र सरकार द्वारा अन्य किसी भी छात्रवृत्ति का लाभ ले चुके हैं उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के लिए चतुर का किसी भी बैंक में खाता होना चाहिए।

**मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना उद्देश्य**

इस योजना का उद्देश्य अल्प आय वर्ग के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करना। ताकि गरीबी कभी भी होनहार बच्चों के आगे ना आए तथा वह अपने पैरों पर खड़े हो सकें।

**मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना का लाभ-**

- राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा/ राजस्थान चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशिप्स लास्ट डेट २०१८ में वरीयता सूची में अल्प आय परिवारों के पात्र छात्र और छात्राओं को 500 रुपये प्रतिमाह जो 10 माह से अधिक नहीं होगा. अर्थात अधिकतम 5000 रुपये वार्षिक का भुगतान किया जावेगा।
- इस योजना के तहत उच्च शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत नियमित छात्र छात्राओं को अधिकतम 5 वर्षों तक ही लाभ प्रदान किया जाएगा एवं यदि विद्यार्थी द्वारा 5 वर्ष पूर्व अध्ययन छोड़ दिया जाता है तो यह लाभ पूर्व वर्षों तक ही मान्य होगा।

**मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना में ऑनलाइन आवेदन**

- आवेदन फॉर्म कॉलेज शिक्षा विभाग की वेबसाइट [www.dce.rajasthan.gov.in](http://www.dce.rajasthan.gov.in) से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

**मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना की निरन्तरता की प्रक्रिया**

छात्रवृत्ति राशि का भुगतान पांच वर्ष की अवधि अथवा उच्च/ तकनीकी अध्ययन जारी रखने तक, जो भी पहले हो, देय होगी. परन्तु चयनित छात्र को निर्धारित परीक्षा में निर्धारित 60 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण होना व प्रतिवर्ष इसका नवीनीकरण करवाना आवश्यक है।

- जिससे कि यह प्रमाणित किया जा सके कि नियमित अध्ययनरत शिक्षा जारी है।